

बिहार सरकार
परिवहन विभाग

पत्रांक-04/STA-(विविध)-03/2018

8131

पटना, दिनांक- 6/11/19

प्रेषक,

उप सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना ।

सेवा में,

सभी संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, बिहार।

विषय :- मोटरवाहन अधिनियम, 1988 की धारा-68(3)(c-a) के आलोक में मार्ग अधिसूचित किये जाने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि मोटरवाहन अधिनियम, 1988 की धारा-68(3)(c-a) के आलोक में विभाग अधिसूचना संख्या-836, दिनांक-05.02.2018 द्वारा कुल-3284 मार्गों एवं अधिसूचना संख्या-709, दिनांक-23.01.2019 द्वारा कुल-377 मार्गों को अधिसूचित किया गया है।

पुनः कतिपय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार द्वारा अतिरिक्त मार्गों को अधिसूचित किये जाने का अनुरोध किया गया है। साथ ही कई वाहन स्वामियों द्वारा उल्लेख किया गया है कि जिस मार्ग पर परमिट निर्गत है, उसे अधिसूचित मार्ग की सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है।

अतः अनुरोध है कि अतिरिक्त मार्गों/भविष्य में परिचालन योग्य मार्गों को अधिसूचित किये जाने हेतु अनुशंसा भेजी जाय। साथ ही वैसे मार्गों जिस पर आपके प्राधिकार द्वारा परमिट निर्गत है, यदि मार्ग परिचालन योग्य है तो उसे अधिसूचित किये जाने हेतु अनुशंसा निश्चित तौर पर भेजा जाय। वैसे मार्ग ही अधिसूचना हेतु भेजा जाय जो उक्त दोनों अधिसूचना में सम्मिलित न हो।

उक्त अनुशंसा पत्र प्राप्ति के पन्द्रह दिनों के अन्दर हार्ड कॉपी एवं सॉफ्ट कॉपी(सीडी) सहित) में भेजी जाय। यदि आपके द्वारा निर्धारित अवधि में अनुशंसा प्राप्त नहीं होता है तो इसकी जवाबदेही आप पर होगी।

कृपया इसे शीर्ष प्राथमिकता दे।

विश्वासभाजन,
उप सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

बिहार सरकार
परिवहन विभाग

पत्रांक-04/STA-(विविध)-03/2018

पटना, दिनांक-

प्रेषक,

उप सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना ।

सेवा में,

सभी संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, बिहार।

विषय :- मोटरवाहन अधिनियम, 1988 की धारा-68(3)(c-a) के आलोक में मार्ग अधिसूचित किये जाने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि मोटरवाहन अधिनियम, 1988 की धारा-68(3)(c-a) के आलोक में विभाग अधिसूचना संख्या-836, दिनांक-05.02.2018 द्वारा कुल-3284 मार्गों एवं अधिसूचना संख्या-709, दिनांक-23.01.2019 द्वारा कुल-377 मार्गों को अधिसूचित किया गया है।

पुनः कतिपय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार द्वारा अतिरिक्त मार्गों को अधिसूचित किये जाने का अनुरोध किया गया है। साथ ही कई वाहन स्वामियों द्वारा उल्लेख किया गया है कि जिस मार्ग पर परमिट निर्गत है, उसे अधिसूचित मार्ग की सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है।

अतः अनुरोध है कि अतिरिक्त मार्गों/भविष्य में परिचालन योग्य मार्गों को अधिसूचित किये जाने हेतु अनुशंसा भेजी जाय। साथ ही वैसे मार्गों जिस पर आपके प्राधिकार द्वारा परमिट निर्गत है, यदि मार्ग परिचालन योग्य है तो उसे अधिसूचित किये जाने हेतु अनुशंसा निश्चित तौर पर भेजा जाय। वैसे मार्ग ही अधिसूचना हेतु भेजा जाय जो उक्त दोनों अधिसूचना में सम्मिलित न हो।

उक्त अनुशंसा पत्र प्राप्ति के पन्द्रह दिनों के अन्दर हार्ड कॉपी एवं सॉफ्ट कॉपी(सीडी सहित) में भेजी जाय। यदि आपके द्वारा निर्धारित अवधि में अनुशंसा प्राप्त नहीं होता है तो इसकी जवाबदेही आप पर होगी।

कृपया इसे शीर्ष प्राथमिकता दे।

विश्वासभाजन,

ह0/-

उप सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक-

ज्ञापांक-

8131

प्रतिलिपि:-आईटी0 मैनेजर, परिवहन विभाग(मुख्यालय), बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

उप सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।